राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 226/2024

कपिल देव शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.02.2024
आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.01.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए यूडीसी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, भरतपुर निरंतर पदस्थापित मानते हुये समस्त लाभ एवं वेतन आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर में कार्यरत है और आलोच्य आदेश दिनांक 30.01.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) 1958 के नियम 13 के अंतर्गत नियम 17 सीसीए के तहत अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति

कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और उसे वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। उसके कर्तव्यों के संबंध में उसे प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये। परंतु नियम 17 सीसीए के अंतर्गत अपीलार्थी को दिनांक 08.12.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें विलम्ब किये जाने के आधार पर कारण बताओ नोटिस का जवाब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया और विभाग द्वारा नियम 17 सीसीए के अंतर्गत दिनांक 13.12.2023 को आरोप पत्र दिया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध दो आरोप लगाते हुये उल्लेख किया गया कि श्री राम सहाय यादव, वरिष्ठ अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों को पत्रावली से गायब कर दिये गये और कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब हुआ। दूसरा आरोप की अपीलार्थी द्वारा मनपसंद कार्यभार प्राप्त करने के लिये तत्कालीन संयुक्त निदेशक पर बाहरी जनप्रतिनिधियों/अन्य लोगों से अनावश्यक दबाव बनाकर कार्यालय का वातावरण दूषित करने एवं राज कार्य संपादन में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी पर आरोप बेबुनियाद लगाये गये हैं। जबकि सीसीए नियम 17 के तहत किसी भी कार्मिक को निलंबित नहीं किया जा सकता लेकिन अपीलार्थी को सीसीए नियम 17 के तहत निलंबित किया गया है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निलंबन आदेशों को अनुचित व गलत माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.01.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए यूडीसी के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, भरतपुर निरंतर पदस्थापित मानते हुये समस्त लाभ एवं वेतन आदि प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया है कि आलोच्य निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है। अपीलार्थी को आरोप पत्र में वर्णित कार्मिक राम सहाय यादव को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रावली से दस्तावेज गायब करने तथा तत्कालीन संयुक्त निदेशक पर बाहरी अनावश्यक दबाव बनाने तथा कार्यालय के वातावरण को दूषित करने के आरोपों से आरोपित किया गया है। विभागीय जांच विचाराधीन होने से एवं अपीलार्थी के विरूद्ध विरचित किये गये आरोप गंभीर प्रकृति के थे, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा जांच कार्यवाही को प्रभावित नहीं करने के उद्देश्य से अपीलार्थी को निलंबित किया गया

है और आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा आरोपी को जारी किया गया ज्ञापन दिनांक 13.12.2023 को सीसीए नियम 17 से सीसीए नियम 16 में परिवर्तित करते हुये विभागीय जांच प्रारंभ की जा चुकी है और इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया निलंबन आदेश सही एवं उचित है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 30.01.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) 1958 के नियम 13 के अंतर्गत नियम 17 सीसीए के तहत अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि आरोप पत्र में वर्णित कार्मिक राम सहाय यादव को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रावली से दस्तावेज गायब करने तथा तत्कालीन संयुक्त निदेशक पर बाहरी अनावश्यक दबाव बनाने तथा कार्यालय के वातावरण को दूषित करने के आरोपों से आरोपित किया गया है। विभागीय जांच विचाराधीन होने से एवं जांच कार्यवाही को प्रभावित नहीं करने के उद्देश्य से अपीलार्थी को निलंबित किया गया है और आदेश दिनांक 14.02.2024 के द्वारा आरोपी को जारी किया गया ज्ञापन दिनांक 13.12.2023 को सीसीए नियम 17 से सीसीए नियम 16 में परिवर्तित करते हुये विभागीय जांच प्रारंभ की जा चुकी है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया निलंबन आलोच्य आदेश दिनांक 30.01.2024 में कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रतीत नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य